न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा जिला बांसवाडा(राज)

प्रकरण संख्या –51/2008

वादी– अभिभाषक :– भगवतपुरी
प्रतिवादी अभिभाषक:– नीलेश मेहता

उनवान

1–श्री हीरा आत्मज श्री नगा पटेल उम्र 60 वर्ष जाति पटेल निवासी ग्राम नवाटापरा तहसील व जिला बांसवाडा (राज)

वादीगण –

बनाम

1–श्री मृतक धनिया आत्मज श्री देवा उम्र वयस्क जाति पटेल निवासी ग्राम नवाटापरा तहसील व जिला बांसवाडा
1/1श्री देवीलाल आत्मज श्री धनिया
1/2श्री विजयलाल आत्मज श्री धनिया
1/3श्री कमला पत्नी नानालाल
1/4श्री सविता पत्नी कालिया
1/5श्री धुली पत्नी बापुलाल
1/6नरदु पत्नी श्री धनिया
2–श्री देवीलाल आत्मज श्री धनिया
3–श्री विजयलाल आत्मज धनिया
4–श्री नानालाल आत्मज श्री गौतम उम्र वयस्क जाति पटेल निवासी ग्राम नवाटापरा तहसील नवाटापरा तहसील व जिला बांसवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के कथन अनुसार वादी की कृषि भूमि खाता संख्या 83 नया 83 पुराना के आराजी सर्वे नबर 251 रकबा 19 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम पागडी पटवार हल्का केसरपुरा तहसील व जिला बांसवाडा में स्थित होकर वादी अपनी पैत्रक कृषि भूमि पर अपने हिस्से 03 बीघा 10 बिस्वा पर शांतिपूर्वक कृषि कार्य करता चला आ रहा है । वाद उत्पन्न होने के कारण प्रतिवादीगण 1 से 10 तक वादी के आराजी नंबर पर शान्तिपूर्ण कृषि कार्य करने उपभोग एव उपयोग में व्यवधान उत्पन्न कर रहे है । प्रतिवादीगणो द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तर्गत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सि.प्र.स.द्वारा वाद में खाता संख्या 83 के सर्वे नम्बर 251 रकबा 19 बीघा 04 बिस्वा के सभी खातेदार आवश्यक पक्षकार है तथा सभी खातेदारों एवं तहसीलदार भूमि धारी को पक्षकार नही बनाने से वाद पत्र नॉन जोईण्डर ऑफ पार्टी का नुस्ख होने से वाद विधि द्वारा वर्जित बताया है साथ ही उक्त खाता शामलाती होने से एकल खातेदारी का वाद उपरोक्त भूमि हेतु प्रस्तुत नही है तथा आधिपत्य वापस प्राप्त हरने का वाद प्रस्तुत नही किया है संयुक्त खातेदारी की भूमि में सभी खातेदारों को पक्षकार बनाए बिना कोई भी न्याय निर्णियन नही हो सकता है तथा वादी ने सभी खातेदारों को पक्षकार नही बनाया है जिससे वाद

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

Scanned with CamScanner

निरस्त योग्य है । साथ ही तनकी 6 व 7 में दिनांक 08.07.1992 वादी का आधिपत्य प्राप्त करने का कोई वाद नही है तथा परिसिमन में नही है । जिससे वाद विधि द्वारा वर्जित है ।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जवाब में वादी ने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 वाद साक्ष्य में विचाराधीन बताते हुए चरण संख्या 2 स्वीकार किया चरण संख्या 3 अस्वीकार करते हुए तनकी 4,5,6,7मात्र विधिक विवाधक नही होकर विधि एवं साक्ष्य के मिश्रित प्रशन होना बताया वादी का वाद प्रतिवादीगण द्वारा उसके पारिवारिक हिस्से की भूमि में बार–बार व्यवधान उत्पन्न करने में स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोका जाने हेतु विचाराधीन है । वादगण कृषि भूमि का वादी खातेदार कृषक है तथा वह उसके हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्ण कृषि कार्य करने हेतु अधिकृत है । प्रार्थना पत्र इस स्टेज पर सुनवाई योग्य नही है । चरण संख्या 3,5,6,7, तथ्य सम्पूर्ण अस्वीकार उत्तर में विस्तार से निवेदन किया है ।

प्रतिवादीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सि.प्र.स.के साथ विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी विद्वान अधिवक्ताओं ने बहस प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना में वर्णित बिन्दुओ को दोहराया बहस सुनने के बाद मैने पत्रावली ,प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र ,का जवाब एवं विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहन अध्ययन व मनन किया तो पाया कि प्रथम दृष्टया यह सही है कि अप्रार्थी की विशेष कथन वर्णित बिन्दुओ तनकीयात का विस्तार से गहन व मनन करने पर पाया कि वादी का प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल के आदेशानुसार तथा नियमानुसार नही है । वादी के खसरा नम्बर 251 कुल रकबा 19 बीघा 04 बिस्वा में से 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि कोनसी है के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आदेश दिये गये वाद राजस्व मण्डल के आदेश के विपरीत है साथ हदहुद एवं चतुर्थसीमा का अंकन संशोधन भी नही किया गया है, तथा सभी सहखातेदारो को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। जो नही बनाया गया है । सयुक्त खातेदारी होने पर वादी द्वारा सभी को पक्षकार बनाते हुवे तहसीलदार जो कि लैण्ड होल्डर है को भी पक्षकार बनाना आवश्यक था प्रतिवादीगणो द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सि.प्र.स. स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद चलने योग्य नही है अतःवादीगण का वाद निरस्त किया जाकर पत्रावली फैसल होकर शुमार हो नम्बरान से कम हो।

आदेश आज दिनांक 22.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(रजनी धाधीवाल)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा

Scanned with CamScanner